भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4200
मंगलवार, 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

बहु-राज्यीय सहकारी समितियां

4200. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बीड और आसपास के जिलों में जिजाऊ**,** दन्यनराधा**,** जीजामाता**,** शुभ कल्याण और राजस्थानी बहु-राज्यीय सहकारी समितियों द्वारा जमाकर्ताओं का पैसा वापस न करना गंभीर चिंता का विषय है**;**
(ख) क्या इसके कारण हजारों जमाकर्ता वित्तीय संकट में हैं और कई परिवारों की जीवन भर की बचत राशि इसमें फंसी हुई है**;**
(ग) क्या सरकार का इन संस्थाओं की केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के माध्यम से तत्काल वित्तीय जांच कराने का विचार है**;**
(घ) क्या सरकार का संबंधित संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त करने और उनमें कोई अनियमितता पाए जाने पर उनके प्रबंधन और संचालन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का विचार है**;**
(ङ) क्या सरकार का कानूनी प्रावधानों के तहत संस्थाओं के निदेशकों की संपत्ति जब्त करने और जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने का विचार है**;**
(च) क्या सरकार का इस संबंध में समयबद्ध कार्य योजना बनाने और उसका कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का विचार है**;**
(छ) क्या जमाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनका विश्वास बहाल करना भारत सरकार की सीधी जिम्मेदारी है**;** और
(ज) यदि हाँ**,** तो इसका क्या कारण है**?**

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (च): बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंधों केअधीन पंजीकृत सहकारी समितियां स्वायत्त सहकारी संगठन के रूप में कार्य करती हैं और अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती हैं । बहुराज्य सहकारी समितियां अपना कार्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 और उसके अधीन बने नियमों के साथ पठित समिति की अनुमोदित उपविधियों के अधीन करती हैं जिसमें समिति के सदस्य, बोर्ड, साधारण निकाय और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) की भूमिका और शक्तियां शामिल हैं । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 49 के उपबंधों के अनुसार

सदस्यों का प्रवेश, जमाराशियों को स्वीकार करना और जमाकर्ताओं को रिफंड, आदि समिति के बोर्ड की शक्तियों और कार्यों के अधीन तथा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 52 के उपबंधों के अनुसार समिति का दैनंदिन प्रबंधन समिति के मुख्य कार्यपालक की शक्तियों और कार्यों के अधीन आता है ।

जिजाऊ मा साहेब बहुराज्य सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लि., दन्यनराधा बहुराज्य सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लि., शुभ कल्याण बहुराज्य सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लि. और राजस्थानी बहुराज्य सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लि. विनिर्दिष्ट बहुराज्य सहकारी समितियां नहीं हैं और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 123 के उपबंधों के अधीन उनमें प्रशासकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है ।

जिजाऊ मा साहेब बहुराज्य सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लि., दन्यनराधा बहुराज्य सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लि., शुभ कल्याण बहुराज्य सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लि. और राजस्थानी बहुराज्य सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लि. के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों के आधार पर सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक ने सहकारी समितियों के पंजीयक, महाराष्ट्र सरकार से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 108 के अधीन निरीक्षण करने का अनुरोध किया है । निरीक्षण रिपोर्टों के आधार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 86 के उपबंधों के अधीन इन समितियों के विरुद्ध परिसमापन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए उनसे आपत्तियां मांगने हेतु नोटिसें भेजी गईं थीं । इन समितियों से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 86 के अधीन परिसमापन के आदेश जारी किए गए और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 89 के अधीन इन समितियों में परिसमापक नियुक्त किए गए ।

परिसमापक को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 के नियम 28 और 29 के अनुसार प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 90 के उपबंधों के अधीन समिति की आस्तियों का परिसमापन करके निवेशकों/सदस्यों को समयबद्ध रीति से भुगतान सुनिश्चित करना है ।

(छ) से (ज): बहुराज्य सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं/सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 में अनेक उपबंध शामिल किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. बहुराज्य सहकारी समितियों में समयबद्ध, नियमित और पारदर्शी निर्वाचन कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का उपबंध शामिल किया गया है ।

ii. सदस्यों की शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति ।

iii. पारदर्शित में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना अधिकारी की नियुक्ति ।

iv. 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर/जमा वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल से समवर्ती संपरीक्षण का उपबंध शामिल किया गया है ।

v. पारदर्शिता में सुधार हेतु शीर्ष बहुराज्य सहकारी समितियों के संपरीक्षण रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत किया जाना ।

vi. लेखांकन और संपरीक्षा में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों के लेखांकन और संपरीक्षण मानकों का निर्धारण ।

vii. शासन और पारदर्शिता में सुधार हेतु बहुराज्य सहकारी समितियों की वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड के ऐसे निर्णयों को शामिल करना जो सर्वसम्मति से न लिए गए हों ।

viii. केंद्रीय सरकार द्वारा थ्रिफ्ट और क्रेडिट का व्यवसाय करने वाली बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों (तरलता, जोखिम, आदि) का निर्धारण ।

ix. बहुराज्य सहकारी समितियों में परिवारवाद और पक्षपात की रोकथाम हेतु किसी बहुराज्य सहकारी समिति का निदेशक उन विचार-विमर्शों में उपस्थित नहीं होगा या उन मामलों में मतदान नहीं करेगा जहां वह स्वयं या उसके परिजन हितबद्ध पक्ष हों ।

x. शासन में सुधार, बकाया की बेहतर वसूली और यह सुनिश्चिम करने के लिए कि ऐसे लोप या कार्य की पुनरावृत्ति कहीं और न हो सके, निदेशकों की अयोग्यता के अतिरिक्त आधार बनाए गए हैं ।

xi. सुरक्षित निवेश और औपनिवेशिक युग से संबंधित प्रतिभूतियों को हटाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा निधियों के निवेश के उपबंधों को पुन:परिभाषित किया गया है ।

xii. यदि केंद्रीय पंजीयक को यह सूचना मिलती है कि कपटपूर्ण तरीके से या किसी गैरकानूनी प्रयोजन से व्यवसाय किया जा रहा है तो वह जांच पड़ताल करा सकता है ।

xiii. यदि किसी बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा दुर्व्यपदेशन (misrepresentation), कपट, इत्यादि से पंजीकरण प्राप्त किया गया हो तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् के उसके परिसमापन का उपबंध किया गया है ।

xiv. बहुराज्य सहकारी समितियों के सामुहिक हितों के विरुद्ध सदस्यों को कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति के किसी निष्कासित सदस्य के निष्कासण अवधि को 1 वर्ष से बढ़ा कर 3 वर्ष कर दिया गया है ।

*****